न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 32/23/प्रार्थना पत्र/बउनवाम/जगदीश वगै0 बनाम लदूरलाल वगै0
जीसीएमएस संख्या 2023/178

1. जगदीश
2. पप्पूलाल
3. मुकेश
4. कलावती
5. फूल बाई
6. बसन्ती बाई पत्नि स्व.

पुत्र, पुत्रियां राधाकिशन जाति माली निवासी सीसवाली हाल निवासी नई राब्जी मण्डी के पारा मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. लदूरलाल पुत्र
2. छोटी बाई पुत्री
3. पारवती बाई पुत्री

पुत्र, पुत्रियां बिशना जाति माली निवासी मालियां के मन्दिर के पास सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील प्रार्थीगण : श्री दयाकृष्ण धाकड
वकील अप्रार्थीगण : श्री मनोज कुमार गालव
दायरा दिनांक : 28.08.2023

निर्णय दिनांक : 05.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि :–

1. यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी की आराजी हाल खाता सं. 1011, खसरा नं. 3087 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 3088 रकबा 0.13 है0, खसरा नं. 3089 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 3229 रकबा 0.46 है0, खसरा नं. 3230 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 2375 रकबा 0.03 है0, खसरा नं. 3240 रकबा 0.17 है0, खसरा नं. 3241 रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 3242 रकबा 0.23 है0, खसरा नं. 3243 रकबा 0.22 है0, खसरा नं. 3285 रकबा 0.31 है0, खसरा नं. 3286 रकबा 0.22 है0, खसरा नं. 5034 रकबा 1.13 है0 कुल कित्ता 13 रकबा 3.03 है0, वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0) मे स्थित है जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी की आराजी है, जिसमे प्रार्थीगण 1/12, 1/12 के सहखातेदार है। जिसे आगे प्रार्थना–पत्र में विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया जावेगा।
2. यह कि प्रार्थीगण अपने पिता के समय हुए मौखिक बंटवारेनुसार खसरा नं. 5034 रकबा 1.13 है0, पर विगत 50 वर्षो से काबिज काश्त है एवं प्रार्थीगण खसरा नं. 5034 रकबा 1.13 है0, को काश्त बिना किसी व्यवधान के काश्त करते चले आ रहे हैं एवं शेष हिस्सा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणो की बाडी मे काश्त करते रहे हैं।
3. यह कि प्रार्थीगण के मौखिक बंटवारेनुसार प्राप्त आराजी में विवादित आराजी हाल खसरा नं. 5034 रकबा 1.13 है0, पर अप्रार्थी क्रम 1. के पुत्र, प्रार्थीगण को काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं इसलिए प्रार्थीगण खसरा नं. 5034 रकबा 1.13 है0, पर अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 एवं उनके वारिसान के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी हैं जिससे प्रार्थीगण शान्ति–पूर्वक काश्त कर सकें, साथ ही प्रार्थीगण

Scanned by CamScanner

शेष हिस्सा आराजी पर भी हिस्सानुसार खाता पृथक दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी हैं।

4. यह कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के साथ काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 3 एवं उनके वारिसान प्रार्थीगण को मौखिक बंटवारे मे प्राप्त आराजी में काश्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मौखिक बंटवारे मे प्राप्त आराजी खसरा नं. 5034 रकबा 1.13 है0, को अप्रार्थीगण 1 ता 3 के वारिसान जबरन हांकने पर आमादा है आये दिन थाने में रिपोर्ट कर प्रार्थीगण को परेशान कर रहे हैं। इसलिए प्रार्थीगण को आवश्यक हो गया है कि अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 3 एवं उनके वारिसान के विरूद्ध हिस्सा 1/12, 1/12 पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करें, जिससे शान्ति-पूर्वक प्रार्थीगण काश्त कर सके।
5. यह कि प्रार्थीगण मद नं. 01 में वर्णित विवादित आराजी को अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 3 से पृथक खाते दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी है जिससे प्रार्थीगण शान्ति-पूर्वक काश्त कर सकें।
6. यह कि प्रार्थीगण का प्राईमाफेसी केस है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है, तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं, क्योंकि अप्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित आराजी का रहन बेचान करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण अपने गलत उद्देश्य में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को तुलनात्मक क्षति का सामना करना पडेगा जिसकी भरपायी भविष्य में सम्भव नहीं हो पायेगी।
7. यह कि अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे।

अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि ताफैसला वाद प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि मद नं. 1 में वर्णित विवादित आराजी में अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 3 किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करें, रहन बेचान आदि न करें। ऐसा कार्य न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 21.06.2023 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन् तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र एवं विशेष आपत्तियाँ प्रस्तुत कि गई जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. यह कि में वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल में हाल आराजियात खाता संख्या 1011 कुल किता 13 कुल रकबा 3.03 हैक्टयर भूमियां हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण 1 ता 6 एंव अप्रार्थीगण के खाते दर्ज होना स्वीकार है, किन्तु प्रार्थीगण का शामिल खातो में कोई हिस्सा नहीं है स्वंय प्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय राधाकिशन पुत्र पिर्था ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजीयात का विक्रय अपने जीवन काल में ही कर दिया था और गांव बास 40 वर्ष पूर्व ग्राम सीसवाली छोडकर कोटा चले गये थे और अपने हिस्से की जमीनों को क्रेतागण को काबिज करा गये थे जिन पर आज भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रेता प्रभुलाल व बंशीलाल पिसरान श्रीकृष्ण धाकड काबिज हैं, तथा अन्य रजिस्टर्ड विक्रय से गोपाललाल पुत्र जगन्नाथ माली सीसवाली काबिज है। प्रार्थीगण का आराजी वादग्रस्त में कोई कब्जा काश्त हिस्सा नहीं है। केवल कपट से राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज कराकर दुबारा से अप्रार्थीगण 1 ता 3 की भूमियों पर कब्जा करने की नियत रखते हैं। शेष विवरण जवाब प्रार्थना-पत्र व विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 जिस तरह से लिखी गयी है, सम्पूर्ण मद असत्य व मनघडन्त होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण के पिता सन् 1983 से ही अपनी सम्पूर्ण हिस्सा आराजी सबकुछ बेचकर गांव छोडकर चले गये प्रार्थीगण के पिता द्वारा अपने वँटवारे की भूमियाँ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से सन 1983 में प्रभुलाल व बंशीलाल पिसरान श्रीकृष्ण धाकड साकिन सीसवाली को साबिक खसरा नम्बर 1373 रकबा 1 बीघा 7

Scanned by CamScanner

बिस्वा एंव खसरा नम्बर 1383 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि का बेचान कर दिया है जिसका नामान्तरण मात्र नहीं खुल पाया है जिसका एक वाद न्यायालय हाजा में प्र0सं0 26/2022 बंशीलाल बनाम पुरुषोत्तम वगैरह जैरकार है, जिसमें प्रार्थीगण पक्षकार है। इसी प्रकार प्रार्थीगण के पिता ने अपने बंटवारे का साबिक खसरा नम्बर 1401 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा का विक्रय गोपाल लाल पुत्र जगन्नाथ माली को कर दिया है जो बदस्तूर आज तक काबिज काश्त है, प्रार्थीगण केवल झूठे व मनघडन्त कथन कर रहे हैं, 40 साल से प्रार्थीगण के पास जमीन ही नहीं है न ही कभी काश्त की है। शेष विवरण प्रार्थना पत्र में दर्ज है मात्र बेईमानी से अपने पिता द्वारा बेचान की गयी आराजी पर किसी कारण वश नामान्तरण नहीं खुलने व रजिस्टर्ड विक्रय नहीं होने से शेष अप्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करने की नीयत रखते हैं। शेष विवरण जवाब प्रार्थना–पत्र व विशेष आपत्तियों में दर्ज है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 3 सम्पूर्ण मद असत्य मनघडन्त होने से अस्वीकार है प्रार्थीगण के पिता द्वारा सम्पूर्ण विक्रय कर दिया गया है विक्रय के बाद भी दर्ज हाल राजस्व रिकार्ड में हिस्सा प्रार्थीगण पूर्णतया त्रुटिपूर्ण व गलत दर्ज हो रहा है क्योंकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का पृथक–पृथक पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :–

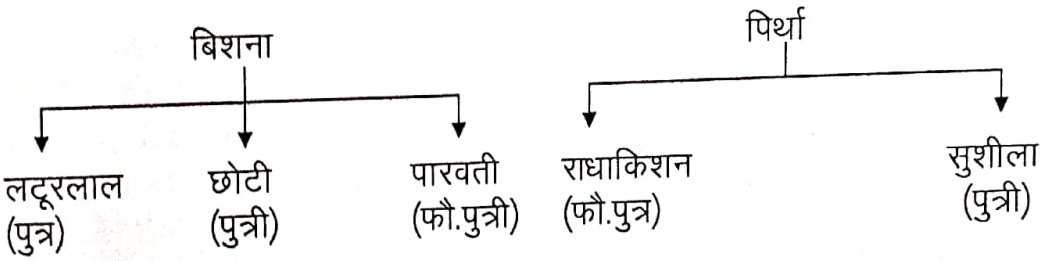

उपरोक्त सजरा अनुसार पिर्था जी की पुत्री व राधाकिशन जी की बहिन का हिस्सा उपरोक्त वर्णित भूमि में पिर्था जी के हिस्से 1/2 में राधाकिशन के साथ बराबर–बराबर में दर्ज होना चाहिये था जो कि सम्वत 2057–2060 तक की जमाबन्दी में सुशीला पुत्री पिर्था हिस्सा बराबर दर्ज हो रहा है और सुशीला द्वारा नायब तहसीलदार साहब के समक्ष पुनः चौसाला राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करने की कार्यवाही कर रखी है जो कि प्रक्रियाधीन है। शेष विवरण जवाब प्रार्थना–पत्र व विशेष आपत्तियों में दर्ज है।

4. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं. 4 असत्य व पूर्णतया मनघडन्त होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण के पिता ने अपने बाहमी बँटवारा में प्राप्त भूमियों साबिक खसरा नम्बर 1373 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 1383 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा पर पूर्व से ही विक्रय करके क्रेतागण को काबिज करा रखा है शेष आराजी अप्रार्थीगण 1 ता 3 व सुशीला पुत्री पिर्था का हिस्सा है जो कि चौसाला में सहवन से छूट गया है, जिसकी तथ्यात्मक रिर्पोट नायब तहसीलदार सीसवाली प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीगण का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में सुशीला का नाम दर्ज न होने से गलत दर्ज है तथा प्रार्थीगण के पिता द्वारा विक्रय की गयी भूमियों ही प्रार्थीगण लेने के अधिकारी है 40 वर्षों से प्रार्थीगण के पिता अथवा प्रार्थीगण ने कभी काश्त नहीं की है क्योंकि प्रार्थीगण के पास कोई भूमि ही नहीं है। यह सुस्थापित विधि है कि रिकार्डेड सहखातेदार के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा कानूनन जारी नहीं की जा सकती है। खाता संख्या 1011 कुल किता 1 रकबा 3.03 हैक्टर में प्रार्थीगण का कथित हिस्सा 1/12 और 1/12 गलत दर्ज हो रहा है क्योंकि प्रार्थीगण की सगी बुआ सुशीला पुत्री पिर्था हिस्सा 1/2 का 1/3 शामलाती जमाबन्दी सम्वत 2057–60 में दर्ज हो रहा है किन्तु सहवन से चौसाला जमाबन्दी बनाते समय सहवन से कम्प्यूटर जमाबन्दी में दर्ज होने से रह गया है जिसकी पृथक से कार्यवाही जैरकार है। शेष विवरण जवाब प्रार्थना–पत्र व विशेष आपत्तियों में दर्ज है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं, 5 असत्य व पूर्णतया मनघडन्त होने से अस्वीकार है। मद नं 1 की आराजी निर्विवादित अप्रार्थीगण व सुशीला पुत्री पिर्था के हक अधिकार व

Scanned by CamScanner

कब्जे काश्त में है प्रार्थीगण का कोई आराजी वादग्रस्त पर भौतिक कब्जा नहीं है। शेष विवरण जवाब प्रार्थना–पत्र व विशेष आपत्तियों में दर्ज है।

6. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 6 अस्वीकार है, प्रार्थीगण का कोई प्राईमाफेसी केस नहीं है, न ही सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है, अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है, प्रार्थीगण के पास कोई भूमि ही नहीं है उनके पिता 40 साल से ग्राम सीसावाली में निवास नहीं करते हैं न ही कभी काश्त की है न ही उनके पास भौतिक कोई कब्जा काश्त है, उपरोक्त तीनों बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि शेष बची जमीन प्रतिवादीगण 1 ता 3 व सुशीला पुत्री पिर्था की है जिस पर प्रार्थीगण स्थगन की आड़ में कब्जा करना चाहता है

7. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 7 स्वीकार है मौखिक कारणों का मौखिक ही प्रतिउत्तर दिया जावेगा।

प्रार्थना, प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार है।

अप्रार्थीगण 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिनकी विशेष आपत्तियाँ कथन निम्नानुसार है :–

1. यह कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण झूठे व मनघड़ंत काल्पनिक तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है, जो प्रार्थीगण ने येन–केन प्रकारेण मात्र न्यायालय से स्थगन प्राप्त करके जबरन कब्जा करने की नीयत से प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण द्वारा साशय जानबूझकर सुशीला बाई पुत्री पिर्था का नाम छिपाया गया है, पूर्व अन्य वाद बंशीलाल बनाम पुरुषोतम वगैरह प्र0 सं0 26/2022 न्यायालय हाजा में जैरकार होने से एवं वादी के ज्ञान में पिता के द्वारा रजिस्टर्ड बेचान करने का तथ्य होने के बावजूद भी जानबूझकर पश्चातवर्ती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। अस्तु प्रार्थना–पत्र प्रार्थी काबिल खारिज है क्योंकि प्रार्थीगण के पिता द्वारा किये गये रजिस्टर्ड विक्रय के नामान्तरण पर पूर्व वाद में भी घोषणा चाही गयी है जो एक ही सम्पति व एक समान पक्षकारों के मध्य ही विवादित है।
2. यह कि प्रार्थीगण का विवादित आराजी में गलत हिस्सा दर्ज हो रहा है और कब्जे काश्त की आराजी का पूर्व से ही पिता के जीवनकाल से ही विक्रय कर रखा है। एक अन्य अपील न्यायालय R.A.A महोदय कोटा के यहाँ प्र0 सं0 2022/137 लटूरलाल वगैराह बनाम कलावती बाई वगैरह के उनवान से भी जैरकार है जिसमें गत पेशी 16.08.2023 थी जिसमें भी प्रार्थीगण पक्षकार है एंव एक ही विवादित सम्पति पर समान पक्षकारों के मध्य पूर्व से ही वाद/अपील जैरकार है जिसमें पक्षकारों के हक अधिकार तय किये जाने है तथा न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत वाद/अपील में भी प्रार्थीगण द्वारा क्रॉस ऑब्जेक्शन अथवा काउण्टर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अस्तु प्रार्थना पत्र आदेश 2 नियम 2 के आज्ञापक प्रावधानों के तहत विधि के अधीन वर्जित होने से काबिल खारिज है।
3. यह कि पारवती पुत्री बिशना कि मृत्यू होने का तथ्य ज्ञान में होने से एवं मृत व्यक्ति के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से प्रार्थना पत्र व प्रार्थीगण काबिल खारिज है। यह कि अप्रार्थीगण 1 व 2 काबिज काश्त खातेदार है, रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है, सुशीला पुत्री पिर्था आवश्यक पक्षकार है और आवश्यक पक्षकारों का असंयोजन होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिल खारिज है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय विशेष हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। अन्य कोई न्यायोचित सहायता हो तो वह भी अप्रार्थी गण को प्रदान की जाये।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील पक्षकारान द्वारा उन्ही तथ्यों को दोहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना में वर्णित किये गये हैं। प्रस्तुत

Scanned by CamScanner

पत्रावली में शामिल राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओं को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित विवादित आराजी में अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 3 किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करने एवं रहन–बेचान न करने हेतु अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। प्रार्थीगण अपने पिता के समय हुए मौखिक बंटवारेनुसार खसरा नं. 5034 रकबा 1.13 है0, पर विगत 50 वर्षों से बिना किसी व्यवधान के काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण के खाते की हिस्सा आराजी हाल खसरा नं. 5034 रकबा 1.13 है0, पर अप्रार्थी क्रम 1 के पुत्र, प्रार्थीगण को काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
2. **अपूर्णनीय क्षति** : चूंकि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की विवादित आराजी पर रिकार्डेड खातेदार हैं। यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी पर दखलांदाजी, रहन–बेचान किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
3. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

अतः प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, बहस वकील पक्षकारान, संलग्न दस्तावेजों, राजस्व रिकॉर्ड एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के अभिनिर्धारण हेतु आवश्यक तीनों बिन्दुओं पर विचार करने के पश्चात् प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि आराजी हाल खाता सं. 1011, खसरा नं. 3087 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 3088 रकबा 0.13 है0, खसरा नं. 3089 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 3229 रकबा 0.46 है0, खसरा नं. 3230 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 2375 रकबा 0.03 है0, खसरा नं. 3240 रकबा 0.17 है0, खसरा नं. 3241 रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 3242 रकबा 0.23 है0, खसरा नं. 3243 रकबा 0.22 है0, खसरा नं. 3285 रकबा 0.31 है0, खसरा नं. 3286 रकबा 0.22 है0, खसरा नं. 5034 रकबा 1.13 है0 कुल किता 13 रकबा 3.03 है0, वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके की यथास्थिति बनाए रखेगें। विधिवत बंटवारे के बिना अजनबी केता को हिस्से विशेष पर एन्ट्री नहीं देगे। दोनों पक्षकारान अपने हिस्से से अधिक बेचान नही करेगें न ही खसरा विशेष का बेचान करेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल मूल वाद हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांक 05.02.2025 को सुनाया गया।

Scanned by CamScanner